[2018] 14.एस.सी.आर. 1230

आर: 1382 जेलों में अमानवीय स्थिति।

2013 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 406 में 2018 की संख्या 26542 दिसंबर 13, 2018 [मदन बी लोकुर, एस अब्दुल नजीर और दीपक गुप्ता, जेजे]

जेल अधिनियम, 1894 – मौत की सजा पाए कैदियों के अधिकार – निर्णीत: मौत की सजा पर दोषी अपने परिवार के सदस्यों, वकीलों या यहां तक कि मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ बैठक करने का हकदार है – ऐसा दोषी कठोर कारावास से गुजर रहे किसी भी अन्य दोषी की तरह जेल की सीमाओं के भीतर जाने का हकदार है, हालांकि, सुरक्षा कारणों से कुछ प्रतिबंध आवश्यक हो सकते हैं, हालांकि, सुरक्षा कारणों से कुछ प्रतिबंध आवश्यक हो सकते हैं, लेकिन फिर भी, अपील दायर करने के अधिकार के साथ प्राकृतिक न्याय प्रावधानों का पालन करना आवश्यक होगा – न्यायमूर्ति अमिताव रॉय समिति द्वारा विचार के लिए खुले अन्य सभी मुद्दे खुले हैं – समिति वर्तमान आवेदन में उठाए गए मुद्दों को अधिक गहराई से देखे – भारत का संविधान – अनुच्छेद 14 और 21।

जेल अधिनियम, 1894 – धारा 30 – कैदी, कब मौत की सजा पाने वाला कैदी – निर्णीत: एक कैदी को मौत की सजा वाला कैदी कहा जा सकता है जब उसकी सजा न्यायिक जांच से परे हो और किसी अन्य प्राधिकारी के हस्तक्षेप के बिना लागू हो।

सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन और अन्य (1978)

4 एससीसी 494: [1979] 1 एससीआर 392 – अनुसरण किया गया।

सुनील बत्रा (द्वितीय) बनाम दिल्ली प्रशासन (1980) 3 एससीसी 488: [1980] 2 एससीआर 557;

किशोर सिंह रविंदर देव बनाम राजस्थान राज्य (1981) 1 एससीसी 503: [1981] 1 एससीआर 995 ;

फ्रांसेस कोरेली मुलिन बनाम प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली (1981) 1 एससीसी 608:

[1981]2 एससीआर 516; राकेश कौशिक बनाम बीएल विग (1980) सपली एससीसी 183: [1980] 3 एससीआर 929 पर भरोसा किया।

केस लॉ रेफरेंस [1979] 1 एससीआर 392 पैरा 5 [1980] 2 एससीआर 557 अनुसरण किया गया पैरा 6 1230 री. पर भरोसा किया गया: 1382 जेलों में अमानवीय स्थितियां

[1981] 1 एससीआर 995 पैरा 6 [1980] 3 एससीआर 929 ।

पैरा प्रस्तर 8[1981]2 एसीआर 516 के प्रस्तर 10 पर भरोसा किया गया।

सिविल मूल क्षेत्राधिकारः याचिका संख्या (सिविल) संख्या. 406/2013 में अंतर्वर्ती प्रार्थना पत्र संख्या 26542/2018

ए.एन.एस.नाडकर्णी, एएसजी, सुश्री अपर्णा भट, सुश्री शिवांगी सिंह, यश वी., आरएम बजाज, सुश्री बीनू टम्टा, आर. बाला, सुश्री सुषमा मनचंदा, सुश्री सुहासिनी सेन, सुश्री आरती शर्मा, जी. एस. मक्कर, बी. वी. बलराम दास, राघवेंद्र मोहन बजाज, गुंटूर प्रभाकर, सुश्री प्रेरणा सिंह, अनिल श्रीवास्तव, ऋतुराज विश्वास, सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव, सुहरदीप रॉय, सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव, सुवोदीप रॉय, अतुल झा, सुहासिनी रॉय संदीप झा, धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, सुश्री हेमंतिका वाही, सुश्री जेसल वाही, सुश्री पूजा सिंह, तपेश कुमार सिंह, कुमार अनुराग सिंह, आदित्य प्रताप सिंह वीएन रघुपति, लग्नेश मिश्रा, परीक्षित पी अंगड़ी, सीके शशि, सुश्री नयनतारा रॉय, सुश्री दीपा एम कुलकर्णी, निशांत आर कटनेश्वरकर, लीसांगथेम रोशमनी के, मैबम बबीना, सुश्री अनुपमा नगंगोम, सुश्री रंजन मुखर्जी, के.वी. रवर रिंगदोह डेनियल स्टोन लिंगदोह, केएन मधुसूदनन, सुश्री नित्या मधुसूदनन, टीजी नारायणन नायर, राजेश श्रीवास्तव, श्रीमती के एनाटोली सेमा, अमित कुमार सिंह अनिंदिता पुजारी, सुश्री आरती कृपा कुमार, अमित शर्मा, अंकित राज, सुश्री इंदिरा भाकर, सुश्री निधि जसवाल, सुश्री रुचि कोहली, सुश्री अरुणा माथुर, अवनीश अरपुथम, सुश्री अनुराधा अरपुथम, सुश्री गीतांजलि मेसर्स वेंकट पलवाई लॉ एसोसिएट्स के लिए

शुवोदीप रॉय, ऋतुराज बिस्वास, एम. योगेश कन्ना, श्रीमती सुजाता बगधी, एस. पार्थ सारथी, पी. वेंकट रेड्डी, प्रशांत त्यागी, मेसर्स वेंकट पलवाई लॉ एसोसिएट्स, राजन कुमार चौरसिया, जितेंद्र कुमार त्रिपाठी, हरीश पांडे, सुश्री रचना श्रीवास्तव, सुश्री मोनिका, सुहान मुखर्जी, सुश्री आस्था शर्मा, अमित वर्मा, अभिषेक मनचंदा, सुश्री काजल दलाल, सुश्री डिंपल नागपाल, मैसर्स पीएलआर चैंबर्स के लिए।

के. वी. जगदीश्वरन, श्रीमती जी. इंदिरा, वी. जी. प्रगासम, एस. प्रबु रामसुब्रमण्यम, एस. मनुराज, टी. एन. रामा राव, हितेश कुमार शर्मा, श्रीमती टी. वीरा रेड्डी, उपस्थित पक्षों के लिए अधिवक्ता। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 14 एस.सी.आर.

अदालत का आदेश द्वारा

मदन बी लोकुर, जे

1.निर्देशों और घोषणाओं के लिए यह आवेदन दायर किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रार्थना की गई है कि किसी भी अदालत द्वारा मौत की सजा पाने वाले कैदियों को अन्य दोषी कैदियों के समान व्यवहार करने का अधिकार है और उन्हें अन्य कैदियों के समान सभी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। यह भी प्रार्थना की जाती है कि मौत की सजा पाए कैदियों के एकांत कारावास या उनके अलग और सेलुलर कारावास को असंवैधानिक घोषित किया जाए।

2. हम आवेदन में उठाए गए सभी मुद्दों पर जाना आवश्यक नहीं समझते हैं, लेकिन कैदियों के अधिकारों के कुछ पहलुओं को परिप्रेक्ष्य में रखना आवश्यक लगता है।

3. हमारे सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यह कब कहा जा सकता है कि एक दोषी मौत की सजा के अधीन है? क्या यह कहा जा सकता है कि जब ट्रायल कोर्ट किसी कैदी को दोषी ठहराता है और उसे मौत की सजा देता है, तो वह कैदी मौत की सजा वाला कैदी है? या, क्या यह कहा जा सकता है कि जब मौत की सजा न्यायिक जांच से परे है, यानी इस न्यायालय द्वारा सजा बरकरार रखे जाने के बाद, दया याचिका खारिज कर दी जाती है और अस्वीकृति को चुनौती खारिज कर दी जाती है, तो कैदी मौत की सजा वाला कैदी है?

4. विद्वान न्यायमित्र द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद भी, वह किसी भी अन्य दोषी कैदी की तरह व्यवहार और व्यवहार करने का हकदार है और इसलिए स्वैच्छिक आधार पर काम करने के अवसर का हकदार है। दोषी अन्य सुविधाओं जैसे शैक्षिक कार्यक्रमों में भाग लेने, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास के साथ–साथ अन्य सजायाफ्ता कैदियों को उपलब्ध अन्य संस्थागत सुविधाओं का भी हकदार है।

5. इस मुद्दे पर मानवीय और दयालु तरीके से विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन और अन्य मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून बिल्कुल स्पष्ट है। रिपोर्ट के पैरा 223 में यह व्यवस्था दी गई है कि मौत की सजा के तहत कैदी का मतलब केवल एक कैदी से हो सकता है जिसकी मौत की सजा अंतिम, निर्णायक और अक्षम्य हो गई है और जिसे किसी भी न्यायिक या संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा रद्द और शून्य नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, एक कैदी को मौत की सजा पर कैदी कहा जा सकता है जब उसकी सजा न्यायिक जांच से परे है और किसी अन्य प्राधिकरण के हस्तक्षेप के बिना ऑपरेटिव होगी। तब तक, ऐसे कैदी को जेल अधिनियम की धारा 30 के संदर्भ में मौत की सजा के तहत नहीं कहा जा सकता है। (1978) 4 एससीसी 494 री:1382 जेलों में अमानवीय स्थितियों मदन वी लोकुर जे. के द्वारा जैसा कि रिपोर्ट के पैरा 101 में भी उल्लेख किया गया है, एक कैदी प्रत्येक प्राणी के आराम और सुविधाओं जैसे बिस्तर और तकिया, मानव जाति के साथ व्यापार करने का अवसर, लेखन सामग्री, समाचार पत्र, किताबें, परिवार के सदस्यों के साथ मिलने आदि का हकदार है।

6. रिपोर्ट के पैरा 42 में सुनील बत्रा (आईडी) बनाम देहली प्रशासन में और रिपोर्ट के पैराग्राफ 10 और 13 में किशोर सिंह रविंदर देव बनाम राजस्थान राज्य में उपरोक्त दृष्टिकोण दोहराया गया है। किशोर सिंह मामले में रिपोर्ट के पैरा 10 में कहा गया था कि अलग कोठरी और एकांत कारावास में कोई अंतर नहीं है। इसलिए, मौत की सजा पाने वाला दोषी कठोर कारावास से गुजर रहे किसी भी अन्य दोषी की तरह जेल की सीमाओं के भीतर जाने का हकदार है। हालांकि, सुरक्षा कारणों से कुछ प्रतिबंध आवश्यक हो सकते हैं, लेकिन फिर भी, अपील दायर करने के अधिकार के साथ प्राकृतिक न्याय प्रावधानों का पालन करना आवश्यक होगा।

7. पैराग्राफ 10 इस प्रकार है:

"10। हम इस बात से सहमत नहीं हो सकते हैं कि धारा या नियमों को उस निरंकुश विस्तारवाद में पढ़ा जा सकता है जिसे जेल अधिकारी हमें पढ़ना चाहते हैं। इसका मतलब यह होगा कि कैदी ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनसे जेल के लोगों की दया पर निपटा जाए। इस देश में कोई अधिनायकवादी क्षेत्र नहीं है, यहां तक कि दीवारों वाली दुनिया के भीतर को भी हम जेल कहते हैं। जेलों के भीतर अनुच्छेद 14, 19 और 21 सुनील बत्रा (जे) में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय की संविधान के द्वारा बताए गए तरीके से काम करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ द्वारा। यह महत्वपूर्ण है कि उस निर्णय में अलग–अलग दिए गए दो विचार भावना और सार, तर्क और निष्कर्ष में सहमत हैं। उस मामले में बत्रा को एक अलग कारावास में बताया गया था, न कि एकान्त कोठरी में। इसी तरह की एक दलील यहां भी रखी गई है। सुनील बत्रा (I) मामले में दिए गए कारणों से संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत] हमें इस दलील को खारिज करना चाहिए कि एक अलग सेल एकांत कारावास से अलग है। इसलिए, याचिकाकर्ता कठोर कारावास की सजा काट रहे अन्य लोगों की तरह जेल की सीमाओं के भीतर जाने के हकदार होंगे। यदि सुरक्षा कारणों से दंडात्मक या कठोर चरित्र के विशेष प्रतिबंध लगाए जाने हैं, तो सुनील बत्रा (जे) मामले [संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत] में बताए गए प्राकृतिक न्याय का पालन करना आवश्यक है। इसके अलावा, सीज़र से सीज़र से अपील नहीं होनी चाहिए, बल्कि (1980) 3 एससीसी 4883 (1981)1 एससीसी 503 सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 14 एससीआर से होनी चाहिए।

जब इस तरह का व्यवहार किया जाता है तो जेल प्राधिकारी को न्यायिक अंग की तरह होना चाहिए। (हमारे द्वारा प्रदान किया गया जोर)।

8. किशोर सिंह में रिपोर्ट के पैरा 13 में, यह निर्देश दिया गया था कि जेल प्रशासन पर सुनील बत्रा और राकेश कौशिक बनाम बीएल विज के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों को तुरंत नियमों और निर्देशों में परिवर्तित किया जाए ताकि कैदियों की स्वतंत्रता के उल्लंघन से बचा जा सके और बंदी प्रत्यक्षीकरण मुकदमेबाजी का प्रसार न हो। रिपोर्ट का पैरा 13 इस प्रकार है:

हम पाते हैं कि जेल अधिनियम के तहत जारी किए गए पुराने नियमों और परिपत्रों और निर्देशों को संविधान,विशेष रूप से अनुच्छेद 21 और इस न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के साथ असंगत रूप से पढ़ा जाता है।

अत, हम राजस्थान राज्य सरकार और वास्तव में देश की अन्य सभी राज्य सरकारों को निदेश देते हैं कि वे कारागार प्रशासन पर पड़ने वाले इस न्यायालय के निर्णयों को तत्काल नियमों और अनुदेशों में परिवतत करें ताकि कैदियों की स्वतंत्रता के उल्लंघन से बचा जा सके और बंदी प्रत्यक्षीकरण मुकदमेबाजी न बढ़े। आखिरकार, मानवाधिकारों को राज्य द्वारा उतना ही महत्व दिया जाता है जितना कि नागरिक। (हमारे द्वारा प्रदान किया गया जोर)।

9. हमारी राय में, इस न्यायालय के निर्णयों ने काफी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है कि कब एक कैदी को मौत की सजा पाया कैदी कहा जा सकता है और मौत की सजा पाने वाले कैदियों के अधिकारों व सुरक्षा जोखिम का भी ध्यान रखा गया है कोई और स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं है।

10. मौत की सजा पाए कैदी को अपने वकीलों या उसके परिवार के सदस्यों या यहां तक कि मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ बैठकें और साक्षात्कार करने के अधिकार के संबंध में, हमारी राय है कि इस तरह की बैठकों और साक्षात्कारों की अनुमति दी जानी चाहिए। हम फ्रांसिस कोरेली मुलिन बनाम प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश देहली में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण का पालन करते हैं। रिपोर्ट के पैरा 8 में, इस न्यायालय द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध का उल्लेख करने के बाद यह विशेष रूप से नोट किया गया था कि मानव गरिमा के साथ जीने के अधिकार के एक हिस्से के रूप में, एक कैदी अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ साक्षात्कार करने का हकदार है और इसके विपरीत किसी भी जेल विनियमन और प्रक्रिया को अनुच्छेद 14 व 21 के तहत संवैधानिक रूप से वैध नहीं माना जा सकता है। जब तक कि यह उचित, निष्पक्ष और न्यायसंगत न हो। इसी प्रकार, 1382 जेलों में अमानवीय दशाएं [मदन बी लोकुर, जे] में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि एक कैदी को अपने वकीलों के साथ चर्चा करने का अधिकार होना चाहिए ताकि उसके पास प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व और न्याय तक पहुंच के साथ-साथ न्याय के लिए उपाय भी हों। हमारी राय में, फ्रांसिस कोरेली मुलिन में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून उचित आवृत्ति के साथ उचित अवधि के लिए मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों से मिलने के लिए मौत की सजा वाले कैदियों पर समान रूप से लागू होगा ताकि उनके अधिकारों को सभी चरणों में पर्याप्त रूप से संरक्षित किया जा सके।

11. हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने कई दशकों से इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को केवल दोहराया है और जो न केवल हमारे संविधान के प्रावधानों पर आधारित है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों के अनुरूप भी है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा कहा गया है, इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कैदियों के अधिकार न केवल किसी विशेष राज्य में उपलब्ध होंगे, बल्कि उन्हें देश भर के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में उपलब्ध होंगे। तदनुसार, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को तदनुसार जेल नियमावली, विनियमों और नियमों में संशोधन करना चाहिए।

12. हम न्यायमूर्ति अमिताव रॉय समिति से अनुरोध करते हैं कि वह आवेदन में उठाए गए सभी मुद्दों को इसके विचारार्थ विषयों के अलावा अधिक गहराई से देखे।

13. चूंकि हम अन्य सभी मुद्दों को न्यायमूर्ति अमिताव रॉय समिति द्वारा विचार के लिए खुला छोड़ रहे हैं, इसलिए आवेदक इस संबंध में न्यायमूर्ति अमिताव रॉय समिति की सहायता करने के लिए स्वतंत्र है।

14. आवेदन का निपटान किया जाता है।

दिव्या पांडे आवेदन का निराकरण।

Digitally signed by Abdul Quaiyum
Date: 2023.10.25 12:12:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court